20 साल से जमीन पर काबजि घुमंतूओं को मालकिाना हक देगी हरयिाणा सरकार

चर्चा में क्यों?

15 जून, 2022 को हरयिाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में 20 साल से ज़मीन पर काबजि घुमंतू जातकि लोगों को मालकिाना हक देने की घोषणा की।

प्रमुख बदिु

- मुख्यमंत्री आवास कबीर कुटीर में लगे जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने घुमंतू जातकि प्रतनिधियिों की समस्याएँ सुनने के बाद यह घोषणाएँ की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2000 तक जसि ज़मीन पर घुमंतू जातकि लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास कसिी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है, तो सरकार वह ज़मीन उनके नाम करेगी।
- इसके लयि शर्त यह है कि ज़मीन 200 गज से अधकि नहीं होनी चाहएि और इसके लयि कुछ भुगतान लयिा जाएगा। इसके अलावा, परविार पहचान-पत्र के माध्यम से चहि्नति घुमंतू जातकि लोगों, जनिकी आय 1.80 लाख रुपए वार्षकि से कम है, को हाउसगि फॉर ऑल वभिाग के माध्यम से भी घर दएि जाएंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-government-will-give-ownership-rights-to-the-nomads